

**कार्यालय**  
**निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,**  
**उत्तराखण्ड, देहरादून।**

संख्या-4377-85 / जी-77/2018-19/अधि0

दिनांक 11 जून 2018

**::आदेश::**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018 /20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 प्रख्यापित किया गया है, के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित चीफ फार्मिसिस्टों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय/कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र0 सं0	चीफ फार्मिसिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान रा0आयु0चि0/जि0आ0एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय स्टोर	नवीन तैनाती स्थान रा0आयु0चि0/जि0आ0एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय स्टोर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कलम सिंह राणा	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वार	मनेरी/उत्तरकाशी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
2	राजेन्द्र सिंह रावत	जि0चि0आयुष विंग महिला/पिथौरागढ	कोटद्वार/पौडी गढवाल	जनहित (धारा 10 क एव ख)
3	दिनेश चन्द्र ध्यानी	मुस्टिक सौड/उत्तरकाशी	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय स्टोर/हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एव ख)
4	रमेश चन्द्र बडोनी	नगर चिकित्सालय/उत्तरकाशी	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय स्टोर/नरेन्द्र नगर टि0ग0	जनहित (धारा 10 क एव ख)
5	इन्द्र सिंह मेहता	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कार्यालय स्टोर/पिथौरागढ	मजियाखेत/बागेश्वर	जनहित (धारा 10 क एव ख)

- सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग, नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मतब्य प्राप्त करते हुये ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।
- स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(प्र0 अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड।
- कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्षवाला देहरादून।
- परिसर निदेशक ऋषिकुल/गुरुकुल कालेज हरिद्वार।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित फार्मिसिस्ट द्वारा सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
- विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
- नोटिस बोर्ड
- गार्ड फाइल।

(प्र0 अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक

**कार्यालय**  
**निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,**  
**उत्तराखण्ड, देहरादून।**

संख्या- 4386-93 / जी-77 / 2018-19 / अधि0

दिनांक 11 जून 2018

**::आदेश::**

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018 /20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 प्रख्यापित किया गया है, के क्रम में विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित आयुर्वेदिक फार्मसिस्टों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय से स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र0 सं0	फार्मसिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान/रा0आ0चि0/रा0एलौ0 चिकित्सालय	नवीन तैनाती स्थान/रा0आ0चि0/रा0एलौ0 चिकित्सालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मनोहर सिंह गुसाई	सिकरौडा/हरिद्वार	डबराडबूथानगर/पौडी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
2	दीपा सैनी	हल्छू माजरा/हरिद्वार	इठारना/देहरादून	जनहित (धारा 7 क एव ख)
3	सुशीला सजवाण	निरंजनपुर/देहरादून	दारमीगाड/देहरादून	जनहित (धारा 7 क एव ख)
4	कुसुम रावत	नरेन्द्रनगर/टिहरी	ललूडीखाल/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
5	प्रिन्स साहू	प्रतापपुर/उधमसिंह नगर	चैनपुर/पौडी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
6	स्तुति रौतेला	कटधरिया/नैनीताल	देवीधुरा/नैनीताल	जनहित (धारा 7 क एव ख)
7	मो0आसिफ	मंगलौर/हरिद्वार	मूलाकोट/चम्पावत	जनहित (धारा 7 क एव ख)
8	सुभाष डंगवाल	फुटकुवा/नैनीताल	जोगीमडी/पौडी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
9	देवराज सिंह पंवार	मिर्जापुर/हरिद्वार	कुनैन/देहरादून	जनहित (धारा 7 क एव ख)
10	भूपेन्द्र बिष्ट	गुजराडा/देहरादून	थातिबडियारगढ/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
11	रेखा नेगी	बहादुराबाद/हरिद्वार	भैस्यारो/टिहरी	जनहित (धारा 7 क एव ख)
12	अनिल असवाल	माजरीग्रान्ट/देहरादून	गुलाबकोटी/चमोली	जनहित (धारा 7 क एव ख)
13	मनेष कुमार	चैनपुर/पौडी	स्यानाचटटी/उत्तरकाशी	अनुरोध (धारा 13 एव 17 ख (एक))
14	नितिन कपरूवाण	आमधार/अल्मोडा	बहदुराबाद/हरिद्वार	अनुरोध (धारा 13 (4))
15	भूपेन्द्र रूवाडी	स्यानाचटटी/उत्तरकाशी	माजरीग्रान्ट/देहरादून	अनुरोध (धारा 13 (3) एव (धारा 17 (1) ख (छ))
16	आशीष	काण्डेयकिरोली/पिथौरागढ	डडोली/पौडी	अनुरोध (धारा 13 (3) एव (धारा 17 (1) ख (छ))
17	भरत सिंह	देवीधुरा/नैनीताल	चाका/चमोली	अनुरोध (धारा 13 (3) एव (धारा 17 (1) ख (छ))
18	कैलाश प्रसाद भट्ट	इठारना/देहरादून	नरेन्द्रनगर/टिहरी	जनहित (धारा 10 क एव ख)
19	प्रताप सिंह मेहरा	बमनस्वाल/अल्मोडा	प्रतापपुर/उधमसिंह नगर	जनहित (धारा 10 क एव ख)
20	शिवसिंह वर्मा	देवाल/चमोली	डांडा जलालपुर/हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एव ख)
21	राकेश चन्द्र मैठाणी	कुर्जौमैकोट/चमोली	निरंजनपुर/देहरादून	जनहित (धारा 10 क एव ख)
22	बृजमोहन कुडियाल	भैस्यारो/टिहरी	मंगलौर/हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एव ख)
23	पूरनचन्द्र जोशी	मजिरकाण्डा/पिथौरागढ	बीसाबजेड/पिथौरागढ	जनहित (धारा 10 क एव ख)
24	कुवर सिंह धर्माण	डुग्री/चमोली	गुजराडा/देहरादून	जनहित (धारा 10 क एव ख)
25	रमेश चन्द्र सती	रोहिडा/चमोली	मिर्जापुर/हरिद्वार	जनहित (धारा 10 क एव ख)
26	हरिराम पैन्थूली	कुनैन/देहरादून	सहस्रधारा/देहरादून	जनहित (धारा 10 क एव ख)
27	भगत सिंह बिष्ट	टकोलीखाल/पौडी	राउलैक/रुद्रप्रयाग	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
28	तेजपाल सिंह बिष्ट	मोल्यासेरा/टिहरी	रायमेर बडेथ/उत्तरकाशी	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
29	नवीन नौटियाल	रायमेर बडेथ/उत्तरकाशी	मोल्यासेरा/टिहरी	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
30	राकेश कुमार रावत	अलगडा/पिथौरागढ	ग्वालदम/चमोली	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
31	नरेन्द्र सिंह	पोखरखाल/पौडी	भृगूखाल/पौडी	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
32	सोनिया	भृगूखाल/पौडी	पोखरखाल/पौडी	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
33	राम लाल	देवलचौरडा/चमोली	महलचौरी/चमोली	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
34	सोहन लाल चमोली	महलचौरी चमोली	देवलचौरडा/चमोली	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
35	सन्तोष कुमार	तामली/चम्पावत	टकोलीखाल/पौडी	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
36	अमित कुमार	होकरा/पिथौरागढ	तपोवन/चमोली	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))
37	ममता सेमवाल	चलथी/चम्पावत	सुराईठोटा/चमोली	अनुरोध (धारा 17 (1) ख (छ))

1. सम्बन्धित कार्मिक आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होंगे। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा धारा-23 (12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समयान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग, नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (journey time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा। जिनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी का मंतव्य प्राप्त करते हुये ऐसे प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा।
5. स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरवाला देहरादून।
5. परिसर निदेशक ऋषिकुल/गुरुकुल कालेज हरिद्वार।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित फार्मिसिस्ट द्वारा सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
8. विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड
10. गार्ड फाइल।

(प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी)  
निदेशक